

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. HEALTH-A(3)-2/2009, DATED 5-5-2010 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE**

No. Health-A(3)-2/2009.

Dated Shimla-2, the

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Chief Pharmacist, Class III (Non-Gazetted), in the Department of Health & Family Welfare, Himachal Pradesh as per Annexure -A attached to this notification, namely :-

Short title and commencement :

1. (1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Health & Family Welfare, Chief Pharmacist Class III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2010.
- (2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Repeal & Savings:

- 2 (i) The Himachal Pradesh, Department of Health & Family Welfare, Chief Pharmacist, Class III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1997 notified vide this Department notification No. Health-A-A(3)-30/94 dated 24-10-1997 are hereby repealed.
- (ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule(i) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By Order

Pr. Secretary (Health) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst.No. No. Health-A(3)-2/2009. Dated Shimla-2, the 5-5-2010

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Accountant General (Audit), H.P. Shimla-3.
3. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2.
4. The Controller, H.P. Printing Stationery Deptt. Shimla-5 for publication in the Extra Ordinary Rajpatra.
5. The ALR-cum-Under Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
6. The Director of Health Services Shimla-9.

Hardev Singh
Deputy Secretary(Health) to the
Government of Himachal Pradesh

Su. C.S
24.5.10

ed:- 19/5/10
S.S.
D. NRHM
& S.R.
F. SECY.
dt. Med - I
dt. Med - II
dt. Med - III
dt. Med - IV
dt. Med - V
dt. Med - VI
dt. Med - VII
C.
S.

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CHIEF PHARMACIST (NON-GAZETTED) CLASS-III, IN THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH.

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 1. | Name of the posts | : | Chief Pharmacist |
| 2. | Number of posts | : | 80 (Eighty) |
| 3. | Classification | : | Class-III (Non-Gazetted), |
| 4. | Scale of Pay | : | Pay Band Rs.10300-34800+Rs 3800
Grade Pay |
| 5. | Whether Selection Post or Non- Selection Post. | : | Non-Selection. |
| 6. | Age for direct Recruitment | : | Not Applicable |
| 7. | Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s) | : | (a) Essential Qualification(s):
Not applicable.
(b) Desirable Qualification(s):
Not applicable. |
| 8. | Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s) | : | (a) Age: Not applicable.
(b) Educational Qualification :
Not applicable |
| 9. | Period of probation, if any | : | Two Years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. |
| 10. | Method(s) of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled-in by various methods. | : | 100% by promotion. |
| 11. | In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/ transfer is to be made. | : | By promotion from amongst the Pharmacists who possess ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade. |

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such area:

Provided further that the proviso(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I :- For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II :- For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under :

1. District Lahaul Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhagal Area of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Karga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Simour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silla-Badhvani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District

(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

- 3 -

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation :- The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in the Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having given the benefit of seniority there-under.

- (2) Similarly, in all cases of confirmation adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.

As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the HP Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.

Not Applicable

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.

Not Applicable

16. Reservation

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/ Scheduled Tribes/ Other Backwards Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

P. 47 -

17. Departmental Examination.

Not Applicable.

18. Power to Relax.

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

.....

[Faint, illegible text and markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

हिमाचल प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संख्या : स्वास्थ्य-ए-ए(3)-2/2009

तारीख शिमला-171002;

5-5-2010

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मुख्य फार्मासिस्ट, वर्ग-III, (अराजपत्रित) के पद के लिए अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध- "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मुख्य फार्मासिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां । 2(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या स्वास्थ्य-ए-ए(3)- 30/94 दिनांक 24-10-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मुख्य फार्मासिस्ट (मुख्य भेषजज्ञ), वर्ग-III-(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: स्वास्थ्य-ए-ए(3)-2/2009. तारीख, शिमला-2;

1 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 ।

2 महालेखाकार (आडिट), हिमाचल प्रदेश शिमला-3 ।

3 सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2 ।

4 नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला-5 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने हेतु ।

5 निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश, शिमला -9 ।

6 सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।

7 संरक्षण नस्ति / अतिरिक्त प्रतियां ।

उप-सचिव (स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मुख्य फार्मासिस्ट, वर्ग- III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम ।

1.	पद का नाम	मुख्य फार्मासिस्ट
2.	पदों की संख्या	80 (अस्सी)
3.	वर्गीकरण	वर्ग- III (अराजपत्रित)
4.	वेतनमान	पै बैंड 10300-34800 जमा 3800/-ग्रेड पे
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु	लागू नहीं
7.	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य अर्हताएं: लागू नहीं । वांछनीय अर्हता :- लागू नहीं ।
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	(क) आयु : लागू नहीं । (ख) शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।
10.	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11.	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जायेगा.	फार्मासिस्ट में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो ।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्याधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हों :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा ।

सपष्टीकरण-I :- उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

सपष्टीकरण-II :- उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

- 1 जिला लाहौल एवं स्पिति ।
- 2 चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।
- 3 रोहडू उप मण्डल का डोडश क्वार क्षेत्र ।
- 4 जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापट ।
- 5 कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
- 6 कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।
- 7 जिला किन्नौर ।
- 8 सिरमौर जिला में उप तहसील कमराउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील के कोटा पाब पटवार वृत्त ।
- 9 मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्चोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्मर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रेला, रोपा, कथोग, सिल्ह-शडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ पटवार वृत्त, थुनांग तहसील के चिरुणी, कालीपार, मानगढ, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार तयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम तदर्थ सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के लिए अपात्र समझे जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण :- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नए समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे हिमोबिलाइज्ड आर्म्ड फोर्सिस पर्सोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्निकल सर्विसिज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्निकल सर्विसिज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भारक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
विद्यमान हो तो उसकी संरचना
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा : लागू नहीं ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन
16. आरक्षण : सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17. विभागीय परीक्षा : लागू नहीं ।
18. शिथिल करने की शक्ति : जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण :- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपत्र नों समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अर्थात् व्यक्ति भूतपूर्व कनिष्ठ है जिसे रिजर्वेशन आर्म्ड फोर्सिबल कॉलेनल (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्निकल सर्विसिज) रुल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्निकल सर्विसिज) रुल्ज, 1965 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भारक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निदिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

- 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
- 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
- 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा : लागू नहीं ।
- 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन : लागू नहीं ।
- 16. आरक्षण : सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा , समय-समय पर अनुसूचित जातियाँ/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
- 17. विभागीय परीक्षा : लागू नहीं ।
- 18. शिथिल करने की शक्ति : जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह , कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

सपष्टीकरण-I :- उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

सपष्टीकरण-II :- उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

- 1 जिला लाहौल एवं स्पिति ।
- 2 चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।
- 3 रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
- 4 जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशाप्रट ।
- 5 कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
- 6 कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा बंगाल क्षेत्र ।
- 7 जिला किन्नौर ।
- 8 सिरमौर जिला में उप तहसील कमराउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-मलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील के कोटा पाब पटवार वृत्त ।
- 9 मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्मर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रेला, रोपा, कथोग, सिल्ह-शडवानी, हस्तपुर, घांरैड और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनगा तहसील के विशुपी, कार्लीपार, मानभड, थाच-बगड़ा, उत्तरी नगरु और दक्षिणी नगरु पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित प्रक्रिया को अपनाते पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम तदर्थ सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, का भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

2031-